कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : स्था./2019/

दिनांक : 08.01.2019

विज्ञप्ति

बांसवाडा जिला न्यायक्षेत्र के विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बांसवाड़ा (पोक्सो न्यायालय) में वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर कुल 03 सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाऐं राजस्थान सरकार कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.17(10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक : जी/आई/ए–4(i)(a)55/16/159 दिनांक 08.01.2019 की अनुपालना में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर दिनांक 31.07.2019 तक अथवा रिक्त पदो के नियमानुसार भरने तक अथवा कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए सेवाऐं ली जानी है।

शर्तें :–

1. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि कार्मिक विभाग के उक्तांकित परिपत्र दिनांक 08.02.2018 में संलग्न परिशिष्ठ–क के अनुसार देय होगी।
2. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस की अवैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
3. ऐसे सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिको, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया हैं, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
4. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक की सेवा किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किए जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।

इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त सेवाऐं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेंगी। उक्त सेवाऐं बांसवाड़ा न्यायक्षेत्र के विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बांसवाड़ा (पोक्सो न्यायालय) पर रिक्त पदों के अनुरूप ली जावेगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तो पर सेवाऐं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 17.01.2019 को सांय 05 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन प्रक्रिया :–

विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन – पत्र विहित प्रारूप में पूर्णरूप से भरा होना चाहिए।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :–

1. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की स्वप्रमाणित प्रति।
2. अंतिम भुगतान प्रमाण–पत्र (एल.पी.सी.) की स्वप्रमाणित प्रति।
3. पी.पी.ओ. की स्वप्रमाणित प्रति।
4. संलग्न प्रारूप में विभागध्यक्ष द्वारा जारी मूल प्रमाण–पत्र।

आयु :–

सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 31.12.2018 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ नहीं होना चाहिए।

SD/—
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा (राज.)

क्रमशः 02

Scanned by CamScanner

01

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा (राज.)
राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाऐं लेने के लिये आवेदन प्रारूप II

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम ....

2. पिता/पति का नाम ....

3. जन्म तिथि ....

4. पता ....

   ....

5. आयु .... वर्ष .... माह .... दिन

6. अर्हताऐं ....

7. मूल विभाग का नाम ....

8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद ....

9. अनुभव ....

   ....

   ....

   ....

10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे–बेण्ड, वेतन ग्रेड–पे) (एलपीसी संलग्न है) ....

11. मूल पेंशन की राशि (पीपीओ प्रति संलग्न है) ....

12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) ....

13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) ....

<u>सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्तक्षारित किये जाने के लिये वचनबध</u>

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिको के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशो/निर्देशो में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुरण में अपनी सेवानिवृति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिये इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :

दिनांक :

सेवानिवृत्ति अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमति.. पुत्र/पत्नि........................ .... जो सेवानिवृत्ति से पूर्व .... पद पर इस विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री /श्रीमति .... की सेवा और वयवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभयर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमति.. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे–बैण्ड वेतन + ग्रेड–पे) .... आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमति .... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री श्री/श्रीमति .... के विरूद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इसकी सेवाएँ जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिकी की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

Scanned by CamScanner

क्रमांक : स्था./2019/ 328 दिनांक : 08.01.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :—

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
2. माननीय रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर।
3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, ... ।
4. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बांसवाड़ा।
6. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, बांसवाड़ा को अखबार में साया हेतु।
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, बांसवाड़ा को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

8/1/19

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा (राज.)